बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सोमवार, तिथि १९ जून, १९७२।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य-विवरण।

सभा का अधिवेशन पटना के सभा-सदन में सोमवार, तिथि १९ जून, १९७२ को पूर्वाह्न ११ बजे अध्यक्ष, श्री हरिनाथ मिश्र के सभापतित्व में प्रारम्भ हुआ।

अल्प-सूचित प्रश्नोत्तर :

जासूसों के खिलाफ कार्रवाई।

५७। श्री राज मंगल मिश्र--क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि विगत भारत-पाकिस्तान युद्ध के समय बिहार राज्य के कौन-कौन से व्यक्ति भारत के विरुद्ध जासूसी करने के अपराध में कैद किये गये थे; यदि हां, तो क्या सरकार बिहारी पाकिस्तानी जासूसी लोगों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई करना चाहती है; यदि नहीं, तो क्यों ?

अध्यक्ष--यह प्रश्न पहले भी पूछा गया था और दो बिन्दुओं पर चूंकि सरकार उत्तर नहीं दे सकी, इसलिए इसको स्थगित किया गया था। एक तो फारबिसगंज में इदरिस मियां किस तरह से गिरफ्तार हुए और किस चार्ज पर ? और दूसरा इसमें कितने लोग गिरफ्तार हुए थे ? इन दोनों बिन्दुओं पर सरकार का उत्तर हो जाये; फिर पूरक प्रश्न पूछे जायंगे। यह मैं समय बचाने के लिए कर रहा हूं।

श्री रमेश झा--अध्यक्ष महोदय, मै आपको बताना चाहता हूं कि प्रश्न के अन्तर्गत जो संदेह पर हिन्दुस्तान और पाकिस्तान युद्ध के सिलसिले में जो सी० आर० पी० सी०, आई० पी० सी० और रेलवे धारा के अन्तर्गत ५९ आदमी गिरफ्तार हुए फौरेन ऐक्ट के अन्तर्गत जो गिरफ्तारी हुई थी जिसका टोटल नम्बर २५० है।

श्री त्रिपुरारि प्रसाद सिंह--इसमें फौरेन ऐक्ट की चर्चा नहीं होगी।

श्री रमेश झा--फौरेन ऐक्ट के अन्तर्गत २५० आदमी गिरफ्तार हुए थे। जहांतक आपने अपना ध्यान आकृष्ट किया है कि इदरीस मियां फारबिसगंज में किस तरह से

श्री केदार पांडेय---(१) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(२) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(३) आरोपित पदाधिकारी से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया है जो सरकार के विचाराधीन है।

श्री आर० एन० राय की वरीयता सूची।

१७६०। श्री कृष्ण प्रताप सिंह--क्या मंत्री, कार्मिक विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि--

(१) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद में पदस्थापित उप-समाहर्त्ताओं एवं दंडाधिकारियों में सबसे वरिष्ठ श्री आर० एन० राय हैं और वरीयता में इनका स्थान एस० डी० ओ० के बाद दूसरा आता है;

(२) क्या यह बात सही है कि वर्त्तमान सेकेंड आफिसर, श्री मुन्नीलाल का स्थान वरीयता के अनुसार चतुर्थ में आता है और इनसे श्री जी० एन० झा, भूमि सुधार पदाधिकारी और श्री आर० एन० राय उप-समाहर्त्ता वरीय हैं;

(३) क्या यह बात सही है कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से एस० डी० ओ० की गैर-हाजिरी में सेकेंड आफिसर ही एस० डी० ओ० का काम करते हैं और सेकेंड औफिसर वही होता है जो एस० डी० ओ० के बाद प्रथम वरीय पदाधिकारी होता है;

(४) क्या यह बात सही है कि श्री एम० एन० गन्नी एस० डी० ओ० के जमाने में श्री आर० एन० राय ही सेकेंड औफिसर थे और सरकार के आदेशानुसार श्री आर० एन० राय ने ही श्री एम० एन० गन्नी का कार्यभार लिया और उन्होंने ही वर्त्तमान एस० डी० ओ० श्री एस० के० साहा को कार्यभार दिया है;

(५) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इस अनियमितता को दूर करने के लिए श्री आर० एन० राय को सेकेंड औफिसर बनाना चाहती है, यदि हां, तो कब तक ?

श्री केदार पांडेय---(१) उत्तर नकारात्मक है। वरीयता के अनुसार औरंगाबाद अनुमंडल कार्यालय के प्रथम ४ पदाधिकारी निम्न प्रकार हैं :

(१) श्री सुरजीत कुमार साह, भा० प्र० से०, अनुमंडल दंडाधिकारी,

(२) श्री गोविन्द माधव झा, उप-समाहर्त्ता, भूमि सुधार-सह-दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी (अभी छुट्टी पर हैं),

(३) श्री आर० एन० राय, उप-समाहर्त्ता-सह-दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी-सह-कार्य-पालक पदाधिकारी, औरंगाबाद कार्यपालिका,

(४) श्री मुन्नीलाल, उप-समाहर्त्ता-सह-दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी।

(२) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(३) प्रथम खंड का उत्तर नकारात्मक है। अगर भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता द्वितीय पदाधिकारी से वरीय होता है तो अनुमंडल पदाधिकारी की अनुपस्थिति में अनुमंडल का प्रभारी रहता है। द्वितीय खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है।

(४) उत्तर स्वीकारात्मक है अर्थात् श्री गन्नी के समय में श्री राय ही अनुमंडल के प्रभारी बनाये गये थे यद्यपि उनसे दो वरीय पदाधिकारी उपलब्ध थे। परन्तु यह व्यवस्था गलत थी। प्रथमतः भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता ही अनुमंडल पदाधिकारी के बाद वरीयतम रहने के कारण अनुमंडल पदाधिकारी की अनुपस्थिति में अनुमंडल का प्रभारी रहना उचित था। द्वितीयतः श्री राय केवल द्वितीय श्रेणी के दंडाधिकारी थे यद्यपि श्री झा एवं श्री लाल प्रथम श्रेणी के दंडाधिकारी थे। श्री राय को तिथि ३१ जुलाई, १९७१ से ही प्रथम श्रेणी की शक्ति मिली, जब श्री गन्नी के बाद श्री साह अनुमंडल पदाधिकारी के रूप में तिथि २० जुलाई, १९७१ से योग दे चुके हैं।

(५) श्री राय अब भी द्वितीय पदाधिकारी हैं।

(प्रश्नकर्त्ता का शायद यह उद्देश्य है कि श्री राय को सवालखानी अर्थात् न्यायालय का कार्य का प्रभार दिया जाना चाहिए जो कि नहीं दिया गया है। परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि द्वितीय पदाधिकारी को सर्वथा सवालखानी का कार्य दिया जाय। अनुमंडल तथा जिला कार्यालय के उप-समाहर्त्ता एवं अवर-उप-समाहर्त्ताओं के बीच कार्य का आवंटन यथाक्रम अनुमंडल पदाधिकारी तथा जिला पदाधिकारी द्वारा प्रशासनिक दृष्टि-कोण से किया जाता है। औरंगाबाद अनुमंडल का राजनैतिक तथा प्रशासनिक वातावरण दूषित है और इसको ध्यान में रखते हुए श्री राय को सवालखानी का कार्य देना उचित नहीं समझा गया, यद्यपि इन्हें दंडाधिकारी के रूप में अन्यत्र प्रतिनियुक्त भी किया जाता है और बहुत अवसरों पर उनसे दंडाधिकारी का कार्य लिया जाता है। द्वितीयतः स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग के आदेशानुसार वे औरंगाबाद नगरपालिका के कार्यपालक पदाधिकारी का कार्य भी कर रहे हैं। तृतीयतः, भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता छुट्टी में रहने के कारण उनके बाद वरीयतम पदाधिकारी होने के कारण श्री राय अब भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता का कार्य के भी प्रभारी हैं। सरकार अवगत है कि भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता का पूर्व पदनाम अपर अनुमंडल पदाधिकारी था और इसलिए अनुमंडल

के वरीयतम उप-समाहर्त्ता साधारणतः इस पद पर पदस्थापित होते हैं। वर्त्तमान अनुमंडल में राजस्व तथा विकास सम्बन्धी बहुत से अभियान चल रहे हैं जिसके प्रभारी भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता हैं। अतः वरीयतम उप-समाहर्त्ता होने के कारण श्री राय इन सभी कार्य में भी अत्यन्त व्यस्त हैं। अतः इन्हें सवालखानी जैसा सापेक्ष कार्य नहीं सौंपा जा सकता)।

प्रेजाइडिंग ओफिसर पर कार्रवाई।

१७६३। श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह – क्या मंत्री, नियुक्ति (निर्वाचन) विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि--

(१) क्या यह बात सही है कि श्री सुरेन्द्र सिंह, नेशनल हाई-वे, बाढ़ स्थित एक्जिक्यूटिव इन्जिनियर के दफ्तर में काम करते हैं;

(२) क्या यह बात सही है कि श्री काशी नाथ सिंह जिला शिक्षा विभाग के दफ्तर में काम करते हैं;

(३) क्या यह बात सही है कि श्री सुरेन्द्र सिंह बाढ़ के विधायक श्री ठाकुर द्वारिका नाथ सिंह के अपने चचेरे भाई और श्री काशी नाथ सिंह उनके अपने फुफेरे भाई हैं;

(४) क्या यह बात सही है कि राणा शिवलाखपति सिंह उम्मीदवार के लिखित और मौखिक विरोधों के बावजूद बाढ़ के अनुमंडल पदाधिकारी, जो बाढ़ क्षेत्र के रिटर्निंग ओफिसर थे, छौरिया और दलिसमनचक बूथों का उपयुक्त दोनों व्यक्तियों को प्रीजाइडिंग ओफिसर बनाया जो नियम के प्रतिकूल था, यदि हां, तो जानबूझकर उम्मीदवार के भाई को प्रीजाइडिंग ओफिसर बनाने के अपराध के लिए उक्त अनुमंडलाधिकारी के विरुद्ध कार्यवाई करना चाहती है, यदि हां, तो कबतक, और नहीं, तो क्यों ?

श्री रमेश झा। (१) उत्तर स्वीकारात्मक है।

---

(२) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(३) छानबीन से यह पता चला है कि श्री सुरेन्द्र सिंह एवं श्री काशी नाथ सिंह गांव के रिश्ते से श्री ठाकुर द्वारिका नाथ सिंह के क्रमशः चचेरे तथा फुफेरे भाई होते हैं।

(४) उपर्युक्त दोनों व्यक्तियों की नियुक्ति मतदान पदाधिकारी (पोलिंग ओफिसर) के रूप में की गयी थी, न कि पीठासीन पदाधिकारी (प्रीजाइडिंग ओफिसर) के रूप में। केवल श्री काशीनाथ सिंह की नियुक्ति के सम्बन्ध में श्री राणा शिवलाख पति सिंह के निर्वाचन अभिकर्त्ता श्री सियाराम सिंह द्वारा दिनांक ६ मार्च, १९७२ को संध्या में एक